

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फ़ैक्स नं :- 0151-2226906, फ़ोन नं :- 0151-2226902, 0151-2226905,
EMAIL ADDRESS :- Nagarnigambikaner@gmail.com, Website :- bikanermc.org

क्रमांक/अन्य राजस्व/2025/15577

दिनांक:- 11/9/25

ई-नीलामी (हॉर्डिंग जोन संख्या 06) सूचना

नगर निगम सीमा में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले युनिपोल (साईज 10x20) पर विज्ञापन प्रदर्शन हेतु 'जोन 06 (साईट सं 1 से 18 तक) के लाईसेंस के लिए अवधि पांच वर्ष के लिए स्वीकृत सूची के अनुसार साईट्स की ई-नीलामी आमंत्रित की जाती है।

1.	न्यूनतम बोली राशि/आरक्षित दर (प्रतिवर्ष हेतु)	21,80,000/-रुपये
2.	नीलामी भागीदारी शुल्क	1000/- रुपये (ऑनलाइन)
3.	ऑनलाइन पंजीयन शुल्क	1000/- रुपये (ऑनलाइन)
4.	धरोहर राशि	5,00,000/- रुपये (ऑनलाइन)
5.	नीलामी भागीदारी एवं पंजीयन शुल्क जमा कराने की दिनांक	दिनांक 15-09-25 से दिनांक 17-09-25 को सायं 06 बजे तक
6.	धरोहर राशि जमा कराने की दिनांक	दिनांक 18-09-25 से दिनांक 22-09-25 को सायं 06 बजे तक
7.	बोली प्रारम्भ करने की दिनांक	दिनांक 25-09-25 को प्रातः 11:00 बजे से
8.	बोली समाप्ति की तिथि	दिनांक 25-09-25 सायं 04:00 बजे से लगातार

नीलामी कार्यक्रम, साईट्स विवरण, नीलामी की शर्तें व अन्य विवरण नीलामी दिनांक तक किसी भी कार्यदिवस में निगम कार्यालय में अन्य राजस्व अनुभाग व निगम की LSG-E AUCTION PORTAL पर देखी जा सकती है।

1. नीलामी की शर्तों का अवलोकन ऑनलाइन या किसी भी कार्य दिवस में निगम कार्यालय में किया जा सकता है।
2. ईच्छुक नीलामी दाता नीलामी कार्यक्रम में अमानत राशि भागीदारी राशि ई-निविदा बिजनेस रूल्स आदि की जानकारी वेबसाईट व LSG-E-AUCTION PORTAL पर देखी जा सकती है।
3. बोली प्रारंभ होने के उपरांत बोली दिनांक को सायं 04:00 बजे से पहले अंतिम पाँच मिनट में बोली लगने पर बोली अवधि 15 मिनट बढ़ेगी, बढ़ी अवधि के अंतिम पाँच मिनट में पुनः बोली लगने पर पुनः बोली अवधि 15 मिनट बढ़ेगी। इस प्रकार बोली अवधि लगातार बढ़ती रहेगी।
4. किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या अथवा जानकारी हेतु श्री वरुण प्रताप सिंह भदौरिया, वरिष्ठ सहायक, दूरभाष नं. 9530080150, 9057141007 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

7/

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम

दिनांक - 11/9/25

क्रमांक - अन्य राजस्व/2025/15578-84

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. श्रीमान् प्रशासक एवं जिला कलक्टर, बीकानेर।
02. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम), नगर निगम बीकानेर।
03. वित्तीय सलाहकार/सचिव, नगर निगम बीकानेर।
04. उपविधि परामर्शी/राजस्व अधिकारी प्रथम, नगर निगम बीकानेर।
05. ओसवाल डाटा, बीकानेर नगर निगम को भेजकर लेख है कि ई-नीलामी सूचना तथा कार्यक्रम, साईट्स विवरण, नीलामी की शर्तें आदि का नगर निगम की वेबसाईट व LSG-E AUCTION PORTAL पर प्रकाशन करावें।
06. नोटिस बोर्ड बीकानेर नगर निगम।
07. सुरक्षित पत्रावली।

7/

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम



बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फ़ैक्स नं :- 0151-2226906, फ़ोन नं :- 0151-2226902, 0151-2226905,

EMAIL ADDRESS :- Nagarnigambikaner@gmail.com, Website :- bikanermc.org

क्रमांक/अन्य राजस्व/2025/15585

दिनांक:-11/9/25

ई-नीलामी (हॉर्डिंग जोन संख्या 06) सूचना

बीकानेर नगर निगम सीमा में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले युनिपोल (साईज 10x20) पर विज्ञापन प्रदर्शन हेतु जोन 06 (साईट सं 1 से 18 तक) के लाईसेंस के लिए अवधि पांच वर्ष के लिए स्वीकृत सूची के अनुसार साईट्स की ई-नीलामी आमंत्रित की जाती है। नीलामी भागीदारी एवं पंजीयन शुल्क जमा कराने की दिनांक 15.09.25 से 17.09.25 को सांय 06 बजे तक एवं धरोहर राशि जमा कराने की दिनांक 18.09.25 से 22.09.25 को सांय 06 बजे तक जमा करवानी होगी। बोली प्रारम्भ करने की दिनांक 25.09.25 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 04.00 बजे से लगातार का समय रहेगा। ईच्छुक बोलीदाता नीलामी कार्यक्रम में धरोहर राशि, भागीदारी शुल्क, साईट्स की स्वीकृत सूची, ई-निविदा बिजनेस रूल्स आदि की जानकारी वेबसाईट व LSG E-AUCTION PORTAL पर देख सकते हैं।

7
आयुक्त

बीकानेर नगर निगम

NOT TO BE PUBLISHED

क्रमांक - अन्य राजस्व/2025/15586-93

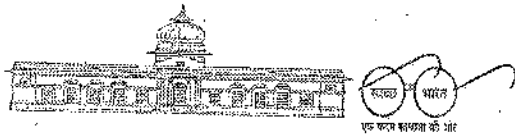
दिनांक - 11/9/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. श्रीमान् प्रशासक एवं जिला कलक्टर, बीकानेर।
02. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त नीलामी सूचना का कम से कम स्पेस में नियमानुसार सर्वाधिक प्रसारित होने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार-पत्र (बीकानेर, जयपुर, जोधपुर संस्करण) तथा एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशन उपरान्त समाचार पत्र की तीन प्रतियां एवं विपत्र भुगतान हेतु बीकानेर नगर निगम को भिजवाने का श्रम करवायें।
03. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम), नगर निगम बीकानेर।
04. वित्तीय सलाहकार / सचिव, नगर निगम बीकानेर।
05. उपविधि परामर्शी / राजस्व अधिकारी प्रथम, नगर निगम बीकानेर।
06. ओसवाल डाटा, बीकानेर नगर निगम को भेजकर लेख है कि ई-नीलामी सूचना तथा कार्यक्रम, साईट्स विवरण, नीलामी की शर्तें आदि का नगर निगम की वेबसाईट व LSG-E AUCTION PORTAL पर प्रकाशन करावें।
07. नोटिस बोर्ड बीकानेर नगर निगम।
08. सुरक्षित पत्रावली।

7
आयुक्त

बीकानेर नगर निगम



बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज०) फ़ैक्स नं :- 0151-2226906, फ़ोन नं :- 0151-2226902, 0151-2226905,
EMAIL ADDRESS :- Nagarnigambikaner@gmail.com, Website :- bikanermc.org

युनिपोल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के लाईसेंस की शर्तें

नगरीय सीमा में सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने वाले युनिपोल जोन 6 (स्वीकृत सूची एवं नक्शों के अनुसार) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. युनिपोल साइट्स के लिए उक्त जोन 6 की कुल संख्या 18 युनिपोल साइट (साईज 20' X 10' फीट) की ई-नीलामी आमंत्रित की जायेगी।
2. ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी सूचना के अनुसार पैन कार्ड व जी.एस.टी. नं. ऑनलाईन निगम की वेबसाइट पर जमा कराने होंगे व धरोहर राशि पांच लाख रुपये ऑनलाईन अथवा नगर निगम के खाता संख्या 669805601845 IFSC Code ICIC0006698 पर RTGS के माध्यम से जमा करवानी होगी। RTGS की रसीद/बैंक ACKNOWLEDGEMENT रसीद ऑनलाईन **LSG E-AUCTION PORTAL** पर अपलोड करनी होगी।
3. इच्छुक बोलीदाता नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें, बोली में सम्मिलित होने पर बोलीदाता को बोली की समस्त शर्तें व प्रावधान स्वीकार्य है यह माना जायेगा।
4. बोलीदाता द्वारा नीलामी में भाग लेने हेतु बिन्दु सं 2 में उल्लेखित दस्तावेजों के साथ शर्तों एवं प्रावधानों को अपने हस्ताक्षर से स्वीकार कर **LSG E-AUCTION PORTAL** पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
5. नगरीय क्षेत्र में जोन संख्या 06 की निर्धारित युनिपोल साइट की नीलामी में बोली का आधार एक वर्ष की राशि के आधार पर होगी तथा कुल नीलामी अवधि 5 वर्ष के लिये होगी। जिसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत गत वर्ष की राशि में वृद्धि होगी। उच्चतम अंतिम बोली की प्रथम वर्ष की 25 प्रतिशत राशि बोली स्वीकृति दिनांक से 02 कार्य दिवस में निगम कोष में जमा करवानी होगी। शेष 75 प्रतिशत राशि बोली स्वीकृति दिनांक से 15 दिवस में निगम में जमा करवानी आवश्यक होगी।
6. सफल बोलीदाता द्वारा 25 प्रतिशत राशि बोली स्वीकृति दिनांक से आगामी 02 कार्य दिवस में जमा नहीं करवाने पर बोली निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा 75 प्रतिशत राशि बोली स्वीकृति दिनांक से 15 दिवस में जमा नहीं करवाने पर धरोहर राशि एवं जमा 25 प्रतिशत जब्त कर बोली निरस्त कर दी जायेगी एवं आगामी बोली से डी-बार किया जायेगा।
7. सफल बोलीदाता को युनिपोल निर्माण एवं स्थापित किये जाने हेतु कार्यादेश दिनांक से 30 दिवस की अवधि प्रदान की जाती है। प्रथम वर्ष की अवधि की गणना 30 दिवस उपरान्त से मान्य होगी।
8. जोन की साइट्स संख्या 18 में कमी एवं वृद्धि होने पर राशि की गणना अनुपातिक आधार पर की जायेगी जिसके संबंध में आयुक्त नगर निगम बीकानेर को निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
9. सफल बोलीदाता को प्रत्येक वर्ष की ठेका अवधि समाप्त होने से 02 माह पूर्व तक 10 प्रतिशत की वृद्धि सहित राशि जमा करवानी अनिवार्य है।
10. आगामी वर्ष की राशि 02 माह पूर्व जमा नहीं करवाने पर प्रथम व अंतिम नोटिस दिया जायेगा। नोटिस उपरान्त देरी से राशि जमा करवाने पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा करवाई होगी अन्यथा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
11. सफल बोलीदाता द्वारा प्रतिवर्ष की राशि एक माह पूर्व तक राशि जमा नहीं करवाने पर फर्म को डी-बार कर नवीन नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी। संवेदक से संपूर्ण बकाया राशि पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जावेगी एवं आगामी बोली से डी-बार किया जायेगा।

4/ 6 10

12. नगर निगम बीकानेर द्वारा केवल साईट नीलाम की जा रही है। इस स्थान पर युनिपोल का निर्माण, युनिपोल स्थापित करने व उस पर विज्ञापन का व्यय सफल बोलीदाता को करना होगा। जिस स्थान पर युनिपोल स्थापित नहीं हो सकेगा उस स्थान पर होर्डिंग बोर्ड लगाने से पूर्व निगम से अनुमति ली जानी आवश्यक होगी, बिना पूर्व अनुमति के किसी भी स्थान पर होर्डिंग बोर्ड नहीं लगाये जा सकेंगे।
13. अन्य बोलीदाताओं को धरोहर राशि नीलामी के पश्चात् वापस कर दी जावेगी एवं द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि 30 दिवस के पश्चात् ही लौटाई जायेगी। नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
14. सफल बोलीदाता को कार्यादेश दिनांक से 07 दिवस में अनुबंध हेतु निर्धारित राशि का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में समस्त बोली राशि जमा न करवाने व अनुबंध हेतु निर्धारित राशि का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत न करने की स्थिति में आयुक्त नगर निगम बीकानेर को ठेका निरस्त करने व बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई समस्त राशि जब्त करने का अधिकार होगा।
15. सफल बोलीदाता द्वारा नियमानुसार देय राशि नियत समयावधि में जमा न करवाने पर संवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। संपूर्ण राशि जमा होने पर ही संवेदक द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा।
16. युनिपोल अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साईट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा। इससे भिन्न रूप से लगाये गये युनिपोल को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जायेगा।
17. सफल बोलीदाता द्वारा शर्तों की पालना किये बिना युनिपोल नहीं लगायेगा। सफल बोलीदाता या उसके अधिकृत व्यक्ति ही इस कार्य के लिए अधिकृत होंगे। युनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञा पत्र निरस्त होने की स्थिति में सफल बोलीदाता द्वारा ऐसी साईट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि जब्त की जावेगी। साईट अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साईट से सफल बोलीदाता के युनिपोल बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
18. ठेका अवधि समाप्ति पर युनिपोल नहीं हटाने पर निगम हटा सकेगा एवं हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया सकेगा
19. युनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जावेगा, अन्यथा 3000/-रु प्रति दिवस की शास्ति संवेदक पर आरोपित की जावेगी। समस्त प्रकार के खर्चों का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
20. सफल बोलीदाता को सभी युनिपोल सिल्वर रंग के कलर करके रखने होंगे, जिनको सही हालत में रखना होगा। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक साईट पर अपने फर्म का नाम एवं साईट संख्या स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करने होंगे। ऐसा न करने पर युनिपोल बिना किसी सूचना के नगर निगम बीकानेर द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज सफल बोलीदाता से वसूल किया जावेगा।
21. सफल बोलीदाता का यह दायित्व होगा कि वह युनिपोल को मजबूती से स्थापित करें, ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में युनिपोल नीचे नहीं गिरे। सफल बोलीदाता द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि युनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व लाईसेन्सधारक का होगा। युनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई अनुज्ञापत्रधारक के स्वयं की होगी। नगर निगम बीकानेर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
22. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि सफल बोलीदाता के युनिपोल मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध, बाधा, विघ्न पैदा करते हैं तो सूचना के दो घण्टे के अन्दर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी अन्यथा नगर निगम बीकानेर उस युनिपोल को खड़ा करवाकर, खड़ा करवाने में लगी राशि की वसूली संबंधित संवेदक से करेगी।

48 6 2 20/11/2017

23. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है तो सफल बोलीदाता को ही जमा करने की जिम्मेदारी होगी।
24. यदि किसी न्यायालय/उच्च अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी आदि के निर्देश के अधीन किसी साईट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा सफल बोलीदाता को निर्देशानुसार स्वयं के खर्चे पर करना होगा।
25. यदि कोई युनिपोल जनहित इत्यादि में या यातायात में बाधक होने या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से वापस करने/समायोजन करने की कार्यवाही की जावेगी।
26. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार आयुक्त नगर निगम बीकानेर का होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन सफल बोलीदाता को मान्य होगा।
27. बोली की शर्तों के संबंध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय आयुक्त नगर निगम बीकानेर का होगा, जो मान्य होगा।
28. समय-समय पर जनहित में तथा सरकारी योजनाओं, उपलब्धियों कार्यक्रम आदि के प्रचार-प्रसार हेतु युनिपोल साईट्स की नगर निगम बीकानेर को आवश्यकता होने पर संवेदक द्वारा निगम की आवश्यकतानुसार साईट्स निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावेगी।
29. सफल बोलीदाता उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिये बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर सफल बोलीदाता पर प्रत्येक शर्त के उल्लंघन पर 1000/- रुपये प्रति उल्लंघन शास्ति वसूल की जा सकेगी, जो कि एक बारगी में अधिकतम 10,000/- रुपये होगी अथवा आयुक्त, नगर निगम बीकानेर द्वारा बोली निरस्त किया जा सकेगा तथा सफल बोलीदाता की साईट/साईट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
30. सफल बोलीदाता नगर पालिका अधिनियम 2009 माननीय न्यायालयों, विज्ञापन उपविधियों के प्रावधानों, लाईसेंस की शर्तों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सक्षम प्राधिकारी बीकानेर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करने के लिए बाध्य होगा। इनका उल्लंघन पाए जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाकर ठेके के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम बीकानेर द्वारा जब्त कर ली जावेगी। साईट अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साईट से सफल बोलीदाता के युनिपोल बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
31. विवाद की स्थिति होने पर आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम मान्य होगा। न्यायिक क्षेत्र बीकानेर शहर होगा।


प्रभारी अधिकारी
अन्य राजस्व


सहा. लेखाधिकारी
प्रथम


वित्तीय सलाहकार


उपविधि परामर्शी


आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

उपरोक्त समस्त शर्तों एवं प्रावधानों का अध्ययन कर लिया गया है, समस्त शर्तों के प्रावधान स्वीकार है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर



बीकानेर नगर निगम

Nagar Nigam Road, Bikaner(Rajasthan) 0151&2226905

E-Mail Address:-nagarnigambikaner@gmail.com Web Site :- www.bikanermc.org

जोन नं. 06

क्र.सं.	स्थान	साईट संख्या
01.	मूर्ती सर्किल जे.एन.वी.	08
02.	राजकीय लॉ कॉलेज के सामने	02
03.	महर्षि गोतम सर्किल	02
04.	सार्दुलगंज चौराहा	04
05.	अमर शहीद हेमू सर्किल	02
	कुल साईट संख्या	18

प्रभारी अधिकारी
अन्य राजस्व

सहा. लेखाधिकारी
प्रथम

वित्तिय सलाहकार

उपविधि परामर्शी

आयुक्त
नगर निगम
बीकानेर